मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

क्रमांक 4767-2845-1-1 भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 1965—भाद्र 29, 1887.

प्रति,

शासन के सभी विभाग,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच के मामलों में लोक सेवा आयोग की सलाह लेना.

शासन के समक्ष यह मसला आया है कि उन विभागीय जांच के मामलों में जिनमें आरोप सिद्ध न होने के कारण शासकीय सेवक को बिना कोई दंड दिये छोड़ने का प्रश्न हो, लोक सेवा आयोग की सलाह लेना आवश्यक है अथवा नहीं. इस सबंध में कानूनी स्थिति संक्षेप में यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (3) ग के अनुसार शासकीय सेवक को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनिक मामलों में (all disciplinary matters affecting a Government Servant) लोक सेवा आयोग की सलाह लेना आवश्यक है. इनमें अभ्यावेदन और याचिकायें भी शामिल हैं जिनका संबंध ऐसे मामलों से हो. चूंकि संविधान के अन्तर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्य परिसीमा) विनियम, 1957 में उन अनुशासिक मामलों को लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र से अलग नहीं किया गया है जिनमें संबंधित शासकीय सेवक को दोषमुक्त करने का प्रस्ताव हो, यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे विभागीय जांच के मामलों में भी लोक सेवा आयोग की राय ली जावे. उपरोक्त विनियम के नियम 6 (1) के अन्तर्गत विभागीय जांच के जिन मामलों में राज्य शासन के मातहत अधिकारी अंकित आदेश देते हैं उन मामलों में आयोग की राय लेना आवश्यक नहीं है. अत: उन्हीं मामलों में आयोग की सलाह लेना चाहिये जिनमें राज्य शासन द्वारा आदेश दिये जाते हैं.

2. शासन के सभी विभागों से अनुरोध है कि इन हिदायतों का पालन सावधानीपूर्वक किया जाय.

हस्ता./-
(ल. सरजे)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.